न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 241 / 2023

अनवान : –

1. रामलाल उर्फ रामुराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गोपालराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. पारा देवी पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. भागी देवी उर्फ मैना देवी पत्नी हरिसिंह पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. रेवन्ताराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. सावित्री देवी पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. हरिराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता **गैरसायल संख्या 2**
3. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल संख्या 3

निर्णय दिनांकः 29/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 390 / 371 के खसरा न0 578 / 2 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 6 का खाता मुश्तरका है सायल का खाता व लगान संयुक्त होने के कारण विवाद बना रहता है इसलिए सायल मुताबिक अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के अनुसार खाता व लगाान अलग अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 390 / 371 के खसरा न0 578 / 2 [illegible] भूमि जिसमें सायल व गैरसायलान प्रत्येक 1 / 7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार [illegible] भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण गैरसायलान बिना विभा[illegible] की भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर अपना कब्जा साबित कर [illegible] किस्म के लोगों [illegible]ख्त करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

योजना बना रहे है इसलिए सायल मुताबिक हक हिस्सा व किस्म के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के अनुसार खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। अगर गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये उक्त वाद भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर देते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला दावा रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता संख्या 390/371 के खसरा न0 578/2 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि का खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक गैरसायलान वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही खुंईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 390/371 के खसरा न0 578/2 की कुल 6.4890 हैक्ट की अप्रार्थीगण यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 व 6 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1, 3, 4 व 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है जब तक खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये अधिवकता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है अप्रार्थी संख्या 5 को मुताबिक कब्जा काश्त एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग करवाने बाबत कोई ऐतराज नही है तथा अप्रार्थीया संख्या 5 का उक्त वाद भूमि को बैय करने का कोई इरादा नही है। अप्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद मुश्तरका खाता की भूमि है अच्छी किस्म की भूमि को गैरसायलान अजनबी क्रेता को रहन/बैय करने पर उतारू है तथा जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। दावा खाता विभाजन का है सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा। अप्रार्थीया का उक्त वाद भूमि को बैय करने का कोई इरादा नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभय[illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर [illegible] खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान [illegible] 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 390/371 के खसरा न0 578/2 की कुल 6.4890 हैक्ट भूमि जिसमें सायल व गैरसायलान प्रत्येक 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 27.09.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested